बिहार सरकार

शिक्षा विभाग

अभिभावकों के लिए आवश्यक सूचना

बिहार सरकार

शिक्षा विभाग, बिहार, पटना।

अभिभावकों के लिए आवश्यक सूचना

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(c) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह (DG) और कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के बच्चों के ऑनलाईन पंजीकरण हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 25.01.2025 को दिनांक 10.02.2025 तक विस्तारित किया जाता है।

शैक्षणिक सत्र 2025–26 में प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 1ली कक्षा में अपने बच्चों के नामांकन हेतु पंजीकरण कर सकते हैं।

समय सीमा

1.	छात्र पंजीकरण	10 फरवरी 2025 तक
2.	पंजीकृत छात्रों का सत्यापन	15 फरवरी 2025 तक
3.	सत्यापित छात्रों का ऑनलाईन स्कूल आवंटन	17 फरवरी 2025
4.	चयनित छात्रों का विद्यालय में प्रवेश	18 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक

उक्त सूचना **state.bihar.gov.in/prdbihar** पर भी देखी जा सकती है।

PR- 18149 (Education) 2024-25

निदेशक,
प्राथमिक शिक्षा।

नशे की मार, बर्बाद करे सुखी परिवार।

@EducationDepartmentBihar @BiharEducation_ @bihar_education_dept @BiharEducationDept

कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद

(बिहार शिक्षा परियोजना)

कार्यालय आदेश

निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, शिक्षा विभाग, बिहार, पटना के आदेशानुसार शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 12(1)(C) के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में अलाभकारी समूह (DG) और कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के बच्चों के ऑनलाईन पंजीकरण हेतु पूर्व निर्धारित तिथि 25.01.2025 से दिनांक 10.02.2025 तक विस्तारित करते हुए निम्न समय–सीमा निर्धारित की गई है –

समय–सीमा

1.	छात्र पंजीकरण	10 फरवरी 2025 तक
2.	पंजीकृत छात्रों का सत्यापन	15 फरवरी 2025 तक
3.	सत्यापित छात्रों का ऑनलाईन स्कूल आवंटन	17 फरवरी 2025
4.	चयनित छात्रों का विद्यालय में प्रवेश	18 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक

अंकनीय है कि उक्त समय–सीमा के अन्तर्गत सभी विद्यालयों को दिनांक 10.02.2025 तक अलाभकारी एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा प्रथम में नामांकन हेतु अधोहस्ताक्षरी कार्यालय के पत्रांक 476 दिनांक 27.01.2025 द्वारा निदेशित किया गया है।

आज दिनांक 28.01.2025 को विभिन्न विद्यालयों के निरीक्षण के क्रम में यह पाया गया कि निजी विद्यालयों के द्वारा न तो इस संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार किया गया है एवं न ही किसी प्रकार की सूचना/बैनर अपने विद्यालयों में प्रदर्शित की गई है, जो अत्यंत खेदजनक है एवं आर0टी0ई0 के नियमों का उल्लघंन है।

अतः औरंगाबाद जिलान्तर्गत सभी निजी विद्यालय उक्त समय–सीमा के अन्तर्गत सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करते हुए 1ली कक्षा में कुल नामांकन का 25 प्रतिशत नामाकन अलाभकारी समूह (DG) और कमजोर वर्ग (EWS) श्रेणी के बच्चों का नामांकन सुनिश्चित करें।

जिन विद्यालयों के द्वारा निर्धारित संख्या में नामांकन नहीं किया जायेगा उनकी प्रस्वीकृति समाप्त करते हुए आर0टी0ई0 के प्रावधानों के तहत अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।

28/01/25

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा, औरंगाबाद।

ज्ञापांक 499 औरंगाबाद, दिनांक 28/01/2025।

प्रतिलिपि :– सभी निजी विद्यालयों के प्राचार्य/निदेशक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– सभी प्रखण्ड शिक्षा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला शिक्षा पदाधिकारी, औरंगाबाद की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि :– जिला पदाधिकारी, औरंगाबाद की सेवा में सूचनार्थ समर्पित।

28/01/25

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी,
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा, औरंगाबाद।

28/1/2025

Scanned with CamScanner

शिक्षा विभाग, औरंगाबाद।

(बिहार शिक्षा परियोजना)

आवश्यक सूचनाः–

प्रिय अभिभावक शैक्षणिक सत्र 25–26 में, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1)(C) एवं बिहार राज्य बच्चों की मुफ्त अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 के तहत प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत अलाभकारी एवं कमजोर समूह के बच्चों का ज्ञानदीप ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से नामांकन किया जाना है:–

- पात्रता मापदंडः– अलाभकारी समूह–अलाभकारी समूह के बच्चे से अभिप्रेत है अनुसूचित जाति एवं जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक समूह के बच्चे जिनके माता पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000/–(एक लाख) रू0 तक हो।
- कमजोर वर्गः–कमजोर वर्ग के बच्चे से अभिप्रेत है सभी जातियाँ/समुदाय के बच्चे जिनके माता–पिता/वैधानिक अभिभावक की वार्षिक आय 2,00,000/–(दो लाख) रू0 से कम हो।
- आयु की सीमाः–01 अप्रैल 2025 तक 6+वर्ष की आयु होना अनिवार्य है। (02 अप्रैल 2017 से 01 अप्रैल 2019 के बीच जन्म लिए बच्चे प्रवेश के लिए पात्र है।)
- आवश्यक दस्तावेजः–01. जन्म प्रमाण पत्र/अस्पताल या नर्स अभिलेख/आंगनबाड़ी अभिलेख/बच्चे या अभिभावक द्वारा उम्र हेतु दिया गया घोषणा पत्र। 02. जाति प्रमाण पत्र 03. आय प्रमाण पत्र 04. निवास प्रमाण पत्र/आधार कार्ड/मतदाता पहचान पत्र/ड्राइविंग लाइसेंस/रेंट एग्रीमेंट/बिजली बिल/05. माता–पिता का अभिभावक आधार कार्ड, मोबाइल नं0 बच्चों का अद्यतन रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
- आवेदन प्रक्रियाः–01.ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों का प्रारंभिक पंजीकरण किया जाएगा। अभिमावक या बच्चे अपने मोबाइल नं0 के साथ *https://gyandeep-rte.bihar.gov.in/* दिए गए लिंक उक्त पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते है। 02. आवेदन करने के समय माता–पिता या अभिभावक के आधार कार्ड सत्यापन अनिवार्य होगा तथा बच्चों के आधार कार्ड का सत्यापन वैकल्पिक होगा। विद्यालय में प्रवेश के तीन महीने के अंदर बच्चें का आधार कार्ड अनिवार्य रूप से विद्यालय में जमा करेंगे। 03. पंजीकरण के बाद आवेदन के लिए उनका User ID उनके मोबाइल नं0 पर SMS के माध्यम से भेजा जायेगा। 04. इस User ID के द्वारा लांगिन करने के पश्चात् बच्चें के माता–पिता या अभिभावक नामांकन फार्म भर सकेंगे।
- विद्यालय चयन प्रक्रियाः–01.सभी अभिभावक जानकारी भरने के बाद आवेदन स्कूल का चयन करने के लिए विकल्प पर जायेंगे। 02.आवेदन करने वाले माता–पिता/अभिभावक या बच्चे अपने प्रखंड में स्थित सभी विद्यालयों में का विकल्प देख सकेंगे। साथ ही आवेदन द्वारा चयनित विद्यालय और बच्चों के घर के बीच की दूरी का उल्लेख करना आवश्यक होगा। 03.ऑनलाईन आवेदन के दौरान आवेदक अपने प्रखंड में स्थित नजदीकी पांच विद्यालय का चयन करेंगे।
- ऑनलाईन सीट आवंटन और प्रवेश प्रक्रियाएँ:–01.विद्यालय चयन ऑनलाईन लॉटरी के माध्यम से किया जायेगा। 02.विकलांग बच्चों के लिए 05 प्रतिशत सीटें आरक्षित होगी। 03.विद्यालय का आवंटन में तुलनात्मक रूप से नजदीक रहने वाले छात्र/छात्रा को प्राथमिकता दी जायेगी।
- समय–सीमा–छात्र/अभिभावकों से अनुरोध है कि प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में नामांकन हेतु उक्त लिंक पर पंजीकरण/ऑनलाईन आवेदन का तिथि 25.01.2025 तक करेंगे। ऑनलाईन प्राप्त आवेदन का सत्यापन 10 फरवरी 2025 तक किया जाना है। सत्यापित छात्र/छात्राओं का ऑनलाइन स्कूल आवंटन की तिथि 16 फरवरी 2025 तक की गई है एवं चयनित छात्राओं का विद्यालय में प्रवेश 16 फरवरी 2025 से 28 फरवरी 2025 तक निर्धारित है।

अतः अभिभावक/शिक्षक/शिक्षाप्रेमी से अनुरोध है कि अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के छात्र/छात्राओं को आवेदन जमा करने हेतु प्रेरित करने की कृपा की जाय।

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा0शि0 एवं समग्र शिक्षा,औरंगाबाद।

Principal
Bal Bharati Public School
NTPC Nabinagar
Aurangabad, Bihar - 824303
School Code - 65929
Affiliation No. - 330932